उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या-9/2015/सीपी 261/84-2-2015-सीपी 2/2014
लखनऊ : दिनांक : 24 अप्रैल, 2015

कार्यालय ज्ञाप

श्री रवीन्द्र दत्त पालीवाल पुत्र स्व0 श्री पी0डी0 पालीवाल, पी0सी0एस0 (सेवानिवृत्त), 4 जोंस बंग्ला, जीवनी मण्डी, आगरा की नियुक्ति शासन की अधिसूचना संख्या-66/सीपी 1140/84-2-2014-सीपी 2/2014, दिनांक 19.11.2014 द्वारा राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ में सदस्य (पूर्णकालिक) पद पर की गयी थी। उक्त नियुक्ति इस शर्त के साथ थी, कि उन्हें 15 दिन के अंदर राज्य आयोग में सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

2 इस संबंध में निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 ने अपने पत्र संख्या 5907/एस.सी.डी.आर.सी./अधि 51/14, दिनांक 13.03.2015 द्वारा अवगत कराया है कि श्री आर0डी0 पालीवाल द्वारा अभी तक राज्य आयोग में सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है तथा समाचार पत्र के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि शासन द्वारा एक वर्ष के लिए श्री आर0डी0 पालीवाल का कार्यकाल स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पद पर बढा दिया गया है, जिसके कारण अब उनके द्वारा राज्य आयोग में कार्यभार ग्रहण करने की संभावना प्रतीत नहीं होती है। अतः अधिसूचना दिनांक 19.11.2014 के द्वारा श्री आर0डी0 पालीवाल की, राज्य आयोग में सदस्य के पद पर की गई नियुक्ति को, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण न किये जाने के कारण, निरस्त किये जाने का अनुरोध निबंधक, राज्य आयोग द्वारा किया गया है।

3 उल्लेखनीय है कि नियुक्ति अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3355/दो-2-2014--22(36)/82, दिनांक 29.08.2014 द्वारा सृजित विशेष कार्याधिकारी पदेन विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन के निः संवर्गीय पद, जिसकी निरन्तरता कार्यालय ज्ञाप संख्या-32/2015/405/दो-2-2015-22(36)/82, दिनांक 27.02.2015 द्वारा दिनांक 29.02.2016 तक बढायी गयी है, पर श्री आर0डी0 पालीवाल को कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.02.2015 द्वारा दिनांक 01.03.2015 से दिनांक 29.02.2016 तक की अवधि के लिए तैनात किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि श्री आर0डी0 पालीवाल, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 में अधिसूचना दिनांक 19.11.2014 द्वारा नियुक्त किये गये सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक नहीं हैं।

4 अतः निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 की आख्या/संस्तुति के दृष्टिगत श्री आर0डी0 पालीवाल की राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ में सदस्य के पद पर की गई नियुक्ति को श्री राज्यपाल महोदय जनहित में एतदद्वारा निरस्त करते हैं।

बी0 एम0 मीना
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, विक्रान्तखण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ ।
(2) जिलाधिकारी, लखनऊ ।
(3) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ ।
(4) श्री रवीन्द्र दत्त पालीवाल पुत्र स्व0 श्री पी0डी0 पालीवाल, पी0सी0एस0 (सेवानिवृत्त), 4 जोंस बंग्ला, जीवनी मण्डी, आगरा।
(5) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
हरिश्चन्द्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।